

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।  
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्राक:-

6103 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 20/06/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
देहरादून।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 (पूर्व में 4.72 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/0/2019 एफ0सी0/ 2383 दिनांक 26-02-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्ति स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा : गई धनराशि रुपये 20,24,637/- की संशोधित वृक्षारोपण योजना की मूल प्रति प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयवर्तित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर

संख्या 6103 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी0एम0जी0एस0वाई0) प्रखण्ड कर्णप्रयाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर

O/C

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)  
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 147 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2021-22,  
सेवा में,

दिनांक 02/05/2022,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,  
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग हेतु 3.3025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/21220/2016)।

सन्दर्भ:- 1:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06 /70/2019/एफ०सी०/2912, दिनांक 13.03.2020  
2:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2103/FP/UK/ROAD/21220/2016, दिनांक 08.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 109, दिनांक 30.05.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है। जिसकी पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अवगत कराना है, कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/70/2019/एफ०सी०/2383, दिनांक 26.02.2021 द्वारा वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र तथा रू० 20,24,637.00 की संशोधित वृक्षारोपण योजना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र (संलग्न है) एवं रू० 2024637.00 मात्र की संशोधित वृक्षारोपण योजना का आंगणन मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि उक्तानुसार वर्तमान दर की प्रतिलिपि एवं संशोधित वृक्षारोपण योजना आंगणन अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव नोडल स्तर से विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किया जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र एवं संशोधित वृक्षारोपण योजना का आंगणन।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०  
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
- 2:- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर (मु०गौचर)।

अधिशासी अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०  
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)  
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 109 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2020-21,  
सेवा में,

दिनांक 30 /05/2020,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,  
गोपेश्वर।

**विषय:-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-16 के बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६ /70/2019/एफ०सी०/2912, दिनांक 13.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	<b>प्रतिपूरक वनीकरण</b>	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 है० अवनत् वनभूमि मल्ला चांदपुर II क०न० 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
ख	कम से कम पचास प्रतिशत "ओक" प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
5	<b>शुद्ध वर्तमान मूल्य</b>	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में LA नम्बर 556, दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दिनांक 03.10.2006 एवं 53/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव एवं एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 48,14,405.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि० 27.05.2020 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "वचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

(2)

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरक्षण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in">https://parivesh-nic-in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित जमा किये जायेंगे।	शर्त मान्य है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in">https://parivesh-nic-in</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भारतीय,  
30/5/2020  
अध्यक्ष, अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग पीएमजीआई  
प्रखण्ड जलप्रियम

## "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0बी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0  
प्रखण्ड कार्यप्रयाग।

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sl. No.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of III-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	79JUK/RDAR/2732/2016 Construction of Bakina Bend to Chitara in Motor Road under PMGSY.	RO40212202016097	6121220097	13 Mar 2020	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPA: 228763/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 228763/-	Paid	Fund Demand Verified by Modal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan generated On Transaction Date	Demand Letter Generated On
2	79JUK/RDAR/2732/2017 Construction of Tharal Kurar Motor Road, km-15 to Gurnar Jagga Gaur Link Motor Road under PMGSY to phase-XVI	RO40277322017015	6127732015	17 Dec 2019	CA: 1118838/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPA: 152125/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1270963/-	Paid	Fund Demand Verified by Modal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan generated On Transaction Date	Demand Letter Generated On



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्राक:- 316/12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 16-07-2020

सेवा में,

अविशासी अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0एम0जी0एस0वाई, प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद घमोली के में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया दैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3015 हे0(पूर्व में 4.72 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/70/2019/एफ0 सी0 /2912 दिनांक 13-03-2020 महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है:-

क्रस0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(हे0 में)	दर प्रति हे0	कुल धनराशि (रु0 में)
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	6.6050 हे0	3,06,531.00	20,24,637.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व .5)	3.3015 हे0	845000.00	27,89,768.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।


# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 1093 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 2-9-2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,  
देहरादून।



विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-16 के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्र 0 का 0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0/05/70/2019/एफ0सी0/2912 दिनांक 13.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है:-

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 है0 अवनत वनभूमि मल्लाचादपुर II क0स0 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के नाननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में LANम्बर 556, दि0 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5:3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव एवं एन0पी0बी0 की देय धनराशि मु0 48,14,405 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 27.05.2020 द्वारा Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अनिश्चित राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0बी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।



सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग के पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विशयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1093 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

जे(र)/एस(न-दो)

15/11/2020

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL  
ZONE)  
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/७०/२०१९/एफ०सी०/२९१२

दिनांक: 13 / 03 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 हे० (पूर्व में 4.72 हे०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 452/X-4-19/1(40)/2019 दिनांक 20.06.2019  
महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/21220/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार - जनपद- चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 हे० (पूर्व में 4.72 हे०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:  
क ) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 हे० अवनत वन भूमि मल्ला चांदपुर II क.न. 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।  
ख) कम से कम पचास प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य  
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
  7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
  8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
  9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
  10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
  11. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
  12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
  13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
  14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
  15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
  16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
  17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
  18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
  19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
  20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
  21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
  22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
  23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,




(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:**

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

  
(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
85-राजपुर रोड़, देहरादून।  
पत्रांक-972/3-5-2/देहरादून:दिनांक: 21, नवम्बर, 2017

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रगाणीय वनाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय:- वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-596/3-5-2 दिनांक 19-08-2015.


महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त पारोपण लाईन के नीचे गौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण 1.00 हे० से कम के प्रकरणों में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव एवं मलवा निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगाई जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरो का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष दरो में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्राविधान भी था।

2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, गौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दरे वसूली वर्ष 2017-18 तक निर्धारित की गयी है। अतः वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-2021 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया जाता है:-

वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे० (रु० में)	गौनी प्रजाति का वृक्षारोपण प्रति हे० (रु० में)	रोड साइड वृक्षारोपण की प्रति कि०मी०। (रु० में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा० (रु० में)
2018-19	2,78,665.00	2,78,665.00	4,17,827.00	1100.00 प्रति वृक्ष
2019-20	3,06,531.00	3,06,531.00	4,59,610.00	1210.00 प्रति वृक्ष
2020-21	3,37,184.00	3,37,184.00	5,05,571.00	1331.00 प्रति वृक्ष


अतः उपरोक्त तालिका के वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि जमा करायी जाय, परन्तु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय वर्ष में निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,  
  
(राजेन्द्र कुमार)  
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

संख्या-972/3-5-2 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ/शियालिक जोग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

  
(राजेन्द्र कुमार)  
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड



## कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 5964/3-5-2 देहरादून दिनांक 06 अगस्त, 2015

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय:- वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या 86/3-5-2 दिनांक 06-07-2013।

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भागीदार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली वन भूमि के एकज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की शर्त लगायी जाती है। इसके अतिरिक्त पारोषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दो ओर पथ वृक्षारोपण, 1.00 हे० से कम के प्रकरणों में आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की 10 गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव एवं मलवा निस्तारण स्थानों पर उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगायी जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रांते वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धोत्तरी का प्राविधान भी था।

2- प्रायः देखा जा रहा है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, पारोषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण 100 वृक्षों के रोपण एवं प्रभावित वृक्षों के 10 गुनी संख्या में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा जमा करवा कर नई दिल्ली में जमा करायी जाती है, जो कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को समय से वृक्षारोपण कार्यों हेतु प्राप्त नहीं होती है। प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा उक्त कार्यों हेतु नर्सरी, अग्रिम गूदा कार्य आदि करना होगा तथा वृक्षारोपण कार्य लगभग तीन वर्ष के बाद होता है, तब तक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की लागत बढ़ जाती है, जिससे कारण क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कार्य करने में कठिनाई होती है।

3- यद्यपि रोपण दरे स्थल विशेष होती है तथापि दरों में एक रूपता को मध्य नजर रखते हुये प्रयोक्ता एजेन्सी को तीन वर्ष के बाद की सम्बन्धित दरों पर धनराशि वसूल किया जाना उचित है। अतः वर्ष 2013 को निर्धारित दरे शारानादेश दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में निम्न प्रकार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दरों का पुनः निर्धारण किया जाता है :-

वसूली वर्ष	रोपण वर्ष	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दर प्रति हे०।	बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण प्रति हे०।	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति कि०मी०।	रिक्त पड़े स्थानों/ 100 वृक्षों का वृक्षारोपण। (रु० में)
—	2013-14	1,30,000.00	1,30,000.00	200,000.00	निर्धारण नहीं
—	2014-15	1,43,000.00	1,43,000.00	2,20,000.00	निर्धारण नहीं
—	2015-16	1,57,300.00	1,57,300.00	2,42,000.00	1000.00 प्रति वृक्ष
—	2016-17	1,73,030.00	1,73,030.00	2,66,200.00	1000.00 प्रति वृक्ष
—	2017-18	1,90,333.00	1,90,333.00	2,92,820.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2015-16	2018-19	2,09,366.00	2,09,366.00	3,22,102.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2016-17	2019-20	2,30,302.00	2,30,302.00	3,45,312.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2017-18	2020-21	2,53,332.00	2,53,332.00	3,79,843.00	1000.00 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार वसूली वर्ष के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि जमा करायी जाय। परन्तु पूर्व में यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जा चुकी हो तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(श्रीकान्त चन्दोला)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 5247 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 18/4/2022

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)

प्रखण्ड कर्णप्रयाग

विषय:-

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई क्षतिपूरक धनराशि के प्राक्कलन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका का पत्रांक 701/ चार-प्रा0वि0/वन भूमि/2022- दिनांक 23-12-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है, आपके द्वारा निम्नांकित प्रस्तावों के विरुद्ध क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशियों से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर आपको अग्रतः कार्यावाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (है0में)	दर प्रति है	जमा की गई धनराशि
1	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के अन्तर्गत बूगीधार भैहलचौरी बछुवाबाण मोटरमार्ग किमी0 42.00 से देवपुरी लिंक मोटर मार्ग हेतु 4.98 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।	9.96	3,37,184.00	33,58,352.00
2	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत जंगलचट्टी (खेती) से सिराणा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन	5.95	2,53,332.00	15,07,325.00
3	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड (नैलबैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4165 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।	4.843	3,37,184.00	16,32,982.00
4	जनपद चमोली में बूगीधार-मेहलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग कि.मी. 12 से कोलानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.775 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।	5.55	3,37,184.00	18,71,371.00
5	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 (पूर्व में 4.72 है0 ) वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।	6.6050.00	3,06,531.00	20,24,637.00

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(इन्द्र सिंह बमी)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बकरियाबैण्ड से छिमटा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है० वन भूमि हस्तान्तरण के ऐवज में दो गुने क्षेत्रफल 6.605 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-मल्ला चाँदपुर II - कंस० 4 में 6.605 है०।

रेंज :-धनपुर

क्षेत्रफल :- 6.605 है०

प्रभाग का नाम:- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० :-7266 पौध।

कंस०	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य करना	6.605	है०	151.00	997.36
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	6.605	है०	5050.00	33355.25
3	दीवाल बन्दी (फैन्सिंग)	6.605	है०	28026.00	185111.73
4	भूमि एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	6.605	है०	9859.00	65118.70
5	गद्दे खुदान (0.30X0.30X0.45) रेखांकन सहित	7266	सं०	9.34	67864.44
6	निरीक्षण बटिया बनाना	6.605	है०	600.00	3963.00
7	पौधों का मूल्य	7266	सं०	9.00	65394.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	6.605	है०	400.00	2642.00
9	अन्य कार्य	-	ल०स०	101000.00	101000.00
कुल योग-					525446.47
द्वितीय वर्ष					
1	गद्दों का भरान (0.30X0.30X0.45)	7266	सं०	1.78	12933.48
2	पौधों का मूल्य	7266	सं०	2.13	15476.58
3	पौध का डुलान कार्य	7266	सं०	11.00	79926.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	7266	सं०	3.46	25140.36
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	7266	सं०	4.43	32188.38
6	खाद व दवा पर व्यय	6.605	है०	234.00	1545.57
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	6.605	है०	595 Hec/Month	27509.83
8.1	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	6.605	है०	500.00	3302.50
8.2	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	2.00	प्रति किमी०	471.00	942.00

वन क्षेत्र अधिकारी  
वन क्षेत्र अधिकारी

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बकरियाबैण्ड से छिमटा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है० वन भूमि हस्तान्तरण के ऐवज में दो गुने क्षेत्रफल 6.605 है० क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

## क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-मल्ला चाँदपुर II - क०सं० 4 में 6.605 है०।

रेंज :-धनपुर

क्षेत्रफल :- 6.605 है०

प्रभाग का नाम:- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० :-7266 पौध।

कंसं०	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
8.3	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	-	ल०स०	20000.00	20000.00
9	अन्य व्यय साईनबोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डोक्यूमेंटेशन आदि कार्य	-	ल०स०	34000.00	34000.00
10	अन्य कार्य	-	ल०स०	80000.00	80000.00
कुल योग-					332964.70

## तृतीय वर्ष 10%

1	पुनः गडढा खोदना व पौध रोपण कार्य	727	सं०	6.00	4359.60
2	पौध का दुलान कार्य	727	सं०	13.00	9445.80
3	पौधों की लागत	727	सं०	11.00	7992.60
4	पौध निराई-गुडाई कार्य करना। प्रथम	7266	सं०	2.05	14895.30
5	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.605	है०	500.00	3302.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	2.00	प्रति किमी०	471.00	942.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	-	ल०स०	72100.00	72100.00
6	रोपण वर्ष के उपरान्त अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.605	है०	595 Hec/Month	47159.70
7	अन्य व्यय	6.605	है०	3500.00	23117.50
कुल योग-					183315.00

## चतुर्थ वर्ष

1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है०	500.00	3302.50
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है०	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	-	ल०स०	80000.00
4	पौधों की निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	7266	सं०	2.05	14895.30
योग					145357.50

## पंचम वर्ष

वन क्षेत्राधिकारी  
धनपुर वन क्षेत्र मंचर



परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बकरियाबैण्ड से छिमटा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है० वन भूमि हस्तान्तरण के ऐवज में दो गुने क्षेत्रफल 6.605 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-मल्ला चाँदपुर II - क०सं० 4 में 6.605 है०।

रेंज :-धनपुर

क्षेत्रफल :- 6.605 है०

प्रभाग का नाम:- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० :-7266 पौध।

क्र०सं०	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है०	500.00	3302.50
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है०	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	-	ल०स०	80000.00
योग					130462.20
षष्ठम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.61	है०	500.00	3302.50
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	6.61	है०	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	-	ल०स०	80000.00
योग					130462.20
सप्तम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है०	500.00	3302.50
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है०	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	-	ल०स०	100000.00
योग					150462.20
अष्टम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है०	500.00	3302.50
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है०	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	-	ल०स०	104780.00
योग					155242.20
नवम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है०	500.00	3302.50
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है०	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	-	ल०स०	85000.00
योग					135462.20
दशम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	6.605	है०	500.00	3302.50
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	6.605	है०	595 Hec/Month	47159.70
3	अन्य व्यय	-	-	ल०स०	85000.00
योग					135462.20
महा योग					2024648.87
धनराशि					2024636.87
2024649.08					2024637.00

किन्तु, सीलिंग के अनुसार देय

2024648.87

2024649.08

= 6.605 X 3,06,531.00 = 2024637.08

जांच किया रूपये 20,24,637.00 मात्र के लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वन्य जीव प्रभाग  
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग  
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी